न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट, हापुड़।
उपस्थिति : यज्ञेश चन्द्र पाण्डेय (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP-2036)

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1188/2026

CNR No.UPHP010041922026

1. मनोज शर्मा पुत्र त्रिलोक चन्द शर्मा निवासी हाल निवासी फ्लेट नं0–404 Ekta Royal A, Chharwada road Asopalav, जिला बलसद गुजरात।

बनाम

सरकार

अन्तर्गत धाराः 323, 352, 427, 452, 504, 506 भा0दं0सं0

थानाः हापुड देहात, जिला हापुड़।

मु0अ0सं0–444/2020

आदेश

दिनांक–04.06.2026

1. आवेदक/अभियुक्त मनोज शर्मा पुत्र त्रिलोक चन्द शर्मा की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध सं0–444/2020 अर्न्तगत धारा–323, 352, 427, 452, 504, 506 भा0दं0सं0 थाना हापुड़ देहात, जिला हापुड़ में प्रस्तुत किया गया है।

02. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 09–11–2020 को समय करीब 1:.45 बजे दोपहर को जिस समय प्रार्थिनी व प्रार्थिनी की पुत्री सिमरन व पुत्र वंश आयु करीब 10 वर्ष अपने घर पर मौजूद थे तो तभी प्रार्थी के मोहल्ले के महेन्द्र शर्मा, मनोज शर्मा व हिमेश शर्मा ने अचानक हमारे घर पर लाठी डंडो से लैश होकर हमला कर दिया और प्रार्थिनी से कहा कि तूने जो हमारे खिलाफ एस०पी० हापुड व डी०एम० हापुड़ के यहा प्रार्थना पत्र दिया है। या तो तू उसमे फैसला कर ले वरना तुझे और तेर घर के सदस्यो को जान से मार देगे। ये सभी लोग एक राय होकर प्रार्थिनी के घर का दरवाजा व सीसा तोड़ दिया व प्रार्थिनी व उसकी पुत्री व पुत्र के साथ घर मे अन्दर घुस कर मारपीट व गाली गलौज व तोड़फोड़ करने लगे और जबरन प्रार्थिनी को फैसला करने को कहा, तभी प्रार्थिनी की पुत्री ने 112 नम्बर पर फोन किया तो शोर शराबा सुनकर मोहल्ले के आसपास के लोग आ गये। लोगो को देखकर ये लोग भाग खड़े हुये तथा जाते जाते धमकी दे गये है या तो हमारे खिलाफ जो तूने प्रार्थना पत्र दे रखा है या तो उसे वापस ले लो अन्यथा तुझे तेरे पति व बच्चो के साथ अन्जाम बुरा होगा। थोडी देर बाद पुलिस आ गयी। पुलिस ने प्रार्थिनी से थाने आने को कहा प्रार्थिनी ने थाना हापुड देहात पहुंच कर अपनी बेटी सिमरन से लिखवाकर लिखित प्रार्थना पत्र दिया, परन्तु थाने पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिये प्रार्थिनी श्रीमान् जी से समक्ष उपस्थित है तथा प्रार्थिनी उक्त घटना से अत्यन्त भयभीत है। प्रार्थिनी को अन्देशा है कि उक्त लोग किसी भी समय प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के किसी

भी सदस्य के खिलाफ किसी भी अप्रिय घटना को अन्जाम दे सकते है। प्रार्थिनी कल थाना देहात अपनी रिपोर्ट लिखवाने गयी और महिला हेल्प डेस्क पर प्रार्थिनी का प्रार्थिनी पत्र लेकर एक स्लीप प्रार्थिनी को दी, परन्तु उक्त लोगो के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नही हुई। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि थाना हापुड देहात को आदेशित करे कि प्रार्थिनी की रिपोर्ट दर्ज कर उक्त लोगो के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है तथा उक्त केस में झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त ने ऐसा कोई कृत्य या अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 10 दिन की देरी से लिखाई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दर्शाया गया है। उक्त केस में धारा–452 भा0दं0सं0 नहीं बनती है, क्योंकि उक्त केस की वादिनी, अभियुक्त के भाई की पत्नी है तथा एक ही परिवार के सदस्य हैं। जिनका एक दूसरे के घर आना जाना है। पक्षकारान के मध्य एक दादलायी मकान है, पर विवाद चल रहा है। उक्त अपराध नो इंजरी केस है। केस की वादिनी व उसकी पुत्री को कोई किसी भी प्रकार की चोट नहीं है। अभियुक्त के खिलाफ घटना से संबंधित कोई भी मेडिकल पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उक्त आधारों पर अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का तर्क किया गया है।

04. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

05. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थी अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर कोई मारपीट नहीं की है। वादिनी और अभियुक्त के परिवार के मध्य मकान का विवाद चल रहा है। कथित घटना से संबंधित किसी प्रकार का कोई मेडिकल प्रपत्र पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। अग्रिम जमानत की याचना की गयी है।

06. इसके विपरीत विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने तर्क किया कि अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्त लाठी–डन्डों से लैश होकर वादिनी मुकदमा के घर में घुस आये और वादिनी मुकदमा, उसके पुत्र तथा पुत्री के साथ गाली गलौज, मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का तर्क किया गया।

मैंने उभयपक्ष के तर्को पर विचार किया व प्रपत्रों का अवलोकन किया।

07. अभियोजन पक्ष के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध यह आक्षेपण किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त व सहअभियुक्तगण के द्वारा लाठी–डन्डों से लैश होकर वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर हमला करते हुए घर में तोड़भोड की तथा वादिनी मुकदमा तथा उसके पुत्र–पुत्री के साथ मारपीट, गाली–गलौज तथा जान से मारने की धमकी दी। पत्रावली पर कोई मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पक्षकारों के मध्य पारिवारिक एवं पैत्रिक सम्पत्ति को विवाद होने का कथन किया है। प्रस्तुत प्रकरण में आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। दौरान विवेचना अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सह अभियुक्त महेन्द्र शर्मा की अग्रिम जमानत पूर्व में स्वीकार हो चुकी है। प्रस्तुत प्रकरण में सभी धाराये सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय हैं। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की नवीनतम विधि–व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में गुण–दोष पर टिप्पणी किये बिना यह न्यायालय इस मत की है कि अभियुक्त को सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना उचित व न्यायसंगत होगा।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त मनोज शर्मा पुत्र त्रिलोक चन्द शर्मा का मुकदमा अपराध सं0–444/2020 अर्न्तगत धारा–323, 352, 427, 452, 504, 506 भा0दं0सं0 थाना हापुड़ देहात, जिला हापुड़ में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.08.2025 के प्रस्तर संख्या 46 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन–50,000/–(पचास हजार) रूपये की एक जमानत व इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जायेः–

1. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त के आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाण पत्र की सत्य प्रति दाखिल की जायेगी।
3. आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व दं0प्र0सं0 की धारा 313 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व धारा 313 दं0प्र0सं0 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

दिनांक–04.06.2026

(यज्ञेश चन्द्र पाण्डेय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट
जनपद हापुड़।
(J.O. Code 2036)

Digitally signed by YAJNESH CHANDRA PANDEY
Date: 2026.06.04 13:56:20 IST
Reason: Judgement
Location: District and Sessions Court Hapur